



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-03/08/2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त अयान को चोरी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 01 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-चौक में पंजीकृत मु0अ0सं0- 43/2023, धारा- 379, 411, 413 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अयान पुत्र जुनैद निवासी गफूरिया मस्जिद के पास बजरडीहा थाना भेलूपुर, जनपद वाराणसी को थाना चौक पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 03/08/2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा-379 भादवि में 01 वर्ष के कारावास व 05 हजार के अर्थदण्ड तथा धारा-411 भादवि में 01 वर्ष के कारावास व 02 हजार के कारावास तथा धारा-413 भादवि में 01 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । सभी सजाएं एक साथ चलेंगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी